

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 29939/2026**

सद्दाम हुसैन

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता

: अंकित तिवारी, जितेंद्र कुमार

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री अंकित तिवारी, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 0100/2026, अंतर्गत धारा 80(2), 85 बी.एन.एस. तथा धारा 3/4 डी.पी. एक्ट, थाना- सराय इनायत, जनपद-प्रयागराज में विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का देवर है, जिसने घरेलू मामलों को लेकर हुए मामूली विवाद के पश्चात जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। आवेदक को केवल मृतका का देवर होने के कारण झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध ऐसी कोई पर्याप्त सामग्री नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न होने के कारण उसने मृतका को प्रताड़ित किया था। आवेदक को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए कि मृतका को मृत्यु के ठीक पूर्व क्रूरता अथवा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था, किंतु ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः, अभिरक्षा में अन्वेषण की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह 11.05.2026 से जेल में निरुद्ध है। यह भी अंत में

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है । सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः, अभिरक्षा में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि, उसे जमानत प्रदान की जाती है, वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य एवं अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को दृष्टिगत रखते हुए तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित, मामले में पारित अधिदेश को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **सद्दाम हुसैन**, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किए जाएंगे।



9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए इस आदेश की प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा, इस उपक्रम के साथ कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
10. यह निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के द्वारा पालिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल, इन री: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (सीआरएल) संख्या 4/2021 दिनांक 31.01.2023 को निर्णित, (2024) 10 एससीसी 685 में प्रतिवेदित तथा रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025, पिला पाहन @ पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, 29.05.2026 को निर्णित, में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में, आवेदक को 24 घंटे के अंदर प्रेषित की जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

अगस्त 24, 2026